न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
02/2018	03/01/2018	08/12/2025

1. रामचन्द्र पुत्र सूरजमल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तह, पीपल्दा जिला कोटा
2. रामकल्याण पुत्र सूरजमल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तह पीपल्दा जिला कोटा
3. शांति पुत्री सूरजमल जाति धाकड निवासी हरिपुस तह, पीपल्दा जिला कोटा
4. भरतलाल पुत्र कांति जाति धाकड़ निवासी हरिपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा
5. महावीर पुत्र कांति जाति धाकड़ निवासी हरिपुरा तह.पीपल्दा जिला कोटा
6. निर्मला पुत्री कांति जाति धाकड़ निवासी हरिपुरा तह: पीपल्दा जिला कोटा
7. राजेन्द्र पुत्र कांति जातियान धाकड़ निवासी हरिपुरा तह.पीपल्दा जिला कोटा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र मांगी लाल
2. रामचन्द्र पुत्र मांगी लाल
3. शंकर लाल पुत्र मांगी लाल
4. गोबरी बाई पुत्री प्रभूलाल निवासी हरिपुरा निवासी टंकी के पास बम्बोरी कला तह. मांगरोल जिला बांरा
5. हटटी लाल पुत्र चतरा जाति कुम्हार
6. मांगी लाल पुत्र सूरजमल
7. रामकिशन पुत्र सूरजमल
8. नन्दकिशोर पुत्र कन्हैयालाल
9. सत्यनारायण पुत्र गुलाबचन्द
10. कौशल्या बाई पुत्री गुलाबचन्द जातियान धाकड़ निवासी हरिपुरा तह पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
11. तहसीलदार महो. तहसील पीपल्दा कोटा (राज)

अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री श्याम बैरवा एड0।

अप्रार्थी कम 1 ता 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री गिरिराज कुशवाहा एड0।

अप्रार्थी कम 6 ता 10 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हरिमोहन मीणा एड0।

प्रार्थना पत्र अनतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता व 4 ता 7 के नाना तथा प्रतिवादी क्रम –7 के पिता सूरजमल पुत्र भैरू तथा प्रतिवादी क्रम 9 के पिता तथा प्रतिवादी क्रम 10 व 11 त दादा कन्हैयालाल पुत्र भैरू जाति धाकड़ के खाते मुताबिक जमाबंदी 2027–30 की ख0सं0 359/210 रकबा 28 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 360/211 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा कृषि आराजी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। जिसमे सूरजमल व कन्हैयालाल का 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज है। बाद सेटलमेन्ट साबिक ख०न० 359/210 रकबा 28 बीघा 3 बीस्वा के नवीन ख०स० 271 रकबा 3.45 कायम किया गया जो पुराने रकबा की तुलना

में 1.75 है० कम दर्ज किया गया उसी प्रकार ख0न० 360/211 रकबा 12 बीघा 12 बीस्वा का नवीन ख0न0 272 रकबा 1.46 है० कायम किया जो पुराने रकबा की तुलना में 0.58 हैक0 कमी कर दी गई है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता व 4 के पति मांग्या पुत्र धुल्या कुम्हार के खाते दर्ज साबिक ख0न0 219 रकबा 2 बीघा 5 बीस्वा के नवीन ख0नं0 269 रकबा 1.16 है0 कायम किया गया जो पुराने रकबा के तुलना में 0.65 है0 बढ़ाकर दर्ज किया गया है। इसी प्रकार अपार्थी क्रम 5 के पिता प्रभूलाल धाकड़ के खाते दर्ज साबिक ख०न० की भूमि 357/149 रकबा 9 बीघा 5 बीस्वा के नवीन ख0न0 274 रकबा 1.84 है0 कायम किया गया है जो पुराने रकबा की तुलना में 0.33 है0 बढ़ाकर दर्ज किया गया है व अपार्थी क्रम 6 के खाते मे बढाकर दर्ज किया गया है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 अप्रार्थी कम 5 व 6 की भूमियां प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 7 ता 11 खाते की भूमिया के लगवा होने के कारण सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना विधिक अधिकारीता के प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 7 ता 11 के खाते से कम रकबा कर अप्रार्थीगण 1 ता 5 व 14 के खाते में बढ़ाकर दर्ज किया गया है कमी रकबा की पूर्ति करवाने का वादी विधिक अधिकार प्राप्त है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा व प्रार्थीगण व प्रति क्रम 7 ता 11 के खातें से की राजस्व कटोती रकबा 1.75 हैक० की पूर्ति लगवा ख०न० अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के खाते दर्ज ख0नं0 269 रकबा 1.16 हैक्टर व अप्रार्थी क्रम 5 के खाते दर्ज ख0न0 274 रकबा 1.34 हैक्टर व अप्रार्थी क्रम 6 के खाते दर्ज खसरा न. 275 रकबा 0.80 व खसरा न. 281 रकबा 0.13 तथा अप्रार्थी क्रम 12 के खाते दर्ज 276/458 तथा ख0न0 243/458 रकबा 0.40 हैक0 से किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा कई मर्तबा कमी रकबा की पूर्ति करवाने बाबत अप्रार्थी क्रम 1 ता 4, 5, 6, तथा 12 से कहा गया लेकिन साफ मना करने पर वाद कारण अंतिम बार दिनांक 1.9.2017 को मना करने पर उत्पन्न हुआ। अप्रार्थी क्रम 7 से लगायत 11 का संयुक्त खाते मे नाम होने के कारण वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा वादी की मां गंगाबाई पत्नि सूरजमल के फौत हो जाने के कारण वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के संयुक्त खाते की भूमि जो पार्थना पत्र में वर्णित है पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करने व मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू होने व जान से मारने की धमकी देने पर आवश्यक हो गया है कि माननीय न्यायालय की सहायता से अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित करवाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वाके माल हरिपुरा की खसरा न0 271 रकबा 3.45 है०, खसरा न0 272 रकबा 1.46 है० खसरा न0 272/441 रकबा 1.47 है० किसी प्रकार की मदाखलत व्यवधान खुर्द बुर्द आदि नही करे और न ही ऐसा कृत्य अपने किसी प्रतिनिधी से करावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री श्याम बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी कम 1 ता 6 की ओर से सुरेन्द्र सिंह एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 7 की ओर से विकास पारेता एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 8 ता 11 की ओर से गिरिराज कुशवाह एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीकम 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी कम 7 ता 11 की ओर से हरिमोहन मीणा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर संशोधित उनवान पेश किया गया। अप्रार्थी कम 1, 2, 3, 5, 6 ने

जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सेटमेंट से पूर्व प्रार्थीगण के खाते में आराजी ख0नं0 359/210 रकबा 28 बीघा 3 बिस्वा खसरा नं. 360/211 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि स्थित थी। जिसके सेटलमेंट के बाद ख.नं. 271 रकबा 3.45 हेक्टर, खसरा नं. 272 रकबा 1.46 हेक्टर, खसरा नं0 272/441 रकबा 1.47 हैक्टर कुल 3 किता कुल रकबा 6.38 हेक्टर कायम किये गये। सेटलमेंट से पूर्व रकबा के अनुसार प्रार्थीगण का रकबा सेटलमेंट के बाद भी सही दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण का कोई रकबा सेटलमेंट द्वारा कम नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण ने नवीन खसरा नं. 272/441 है0 को प्रार्थना पत्र मैं नहीं दर्शाया है। जबकि 272/441 नम्बर खसरा नम्बर 272 का ही नम्बर है। इसलिए प्रार्थीगण का कोई रकबा सेटलमेंट द्वारा कम नहीं किया गया है। प्रार्थीगगण ने खसरा नम्बर 272/441 रकबा 1.47 हेक्टर कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में बिना दर्शाये प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कि खारिज होने योग्य है। विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है। इसलिए प्रार्थीगण अपार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा भी नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए मौके पर कब्जा व खातेदार होना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया नहीं है। सुविधा का सतुंलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है और प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच नाला व सरकारी रास्ता है। प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति भी नहीं होगी। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वतः ही खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पर खारिज फरमाने की कृपा करे।

अप्रार्थी कम 7 ता 11 ने जवाब प्रार्थना पत्र पस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कम 1 लगायत 7 व अप्रार्थी कम 7 लगायत 11 के खाते की जमाबन्दी अनुसार सम्वत 2035–2038 खसरा न. 359/210 रकबा 28 बीघा 3 बीस्वा खसरा न. 360/211 रकबा 12 बीघा 12 बीस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 40 बीघा 15 बीस्वा जिसका सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट किया गया जिसके हाल साबिक खसरा न. 271 रकबा 3.45 है०, खसरा न. 272 रकबा 1.46 है० खसरा 272/441 रकबा 1.47 है० कुल किता 3 कुल रकबा 6.38 है० इस प्रकार पूर्व सेटलमेन्ट प्रार्थीगण का व हाल रकबे में 0.14 है० रकबे की कमी की गई। जबकि सेटलमेन्ट विभाग को रकबा कम करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण 6 लगायत 11 का जो पुराना रकबा है उसमे जमाबन्दी 2035 से 2038 अप्रार्थीगण के खाते अंकित थी लेकिन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जब उक्त भूमि को सेटलमेन्ट किया गया हाल सेटलमेन्ट बाद उक्त खाते को खातेदारी से गैर खातेदारी मे दर्ज अंकित दर्ज कर दिया गया जो कानून के विपरीत है और उक्त भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज करवाने का कानूनी अधिकार है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट से पूर्व नक्शे मे कमी की उसको नये नक्शे मे पुराने नक्शे के अनुसार दुरूस्त किया जावे और अप्रार्थीगण के खाते की भूमि को कम करके अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के रकबे मे बढोतरी की है उसको कम कर प्रार्थीगण के रकबे मे कमी पूर्ति की जावे। जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थीगण को कानूनी एवं सवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा0 पत्र के बिंदुओं को बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी गैर खातेदार दर्ज है जिसके ख0नम्बरान 271, 272 में कमशः 1.75है0 व 0.58है0 की कमी सेटलमेंट विभाग

द्वारा की गई जिसका उसे विधिक अधिकार नहीं था। ख0नं0 269 व 274 में कमशः 0.65हे0 व 0.33हे0 की बेशी दर्ज की गई है। जो कि प्रार्थी के खसरो की कमी के संगत है अतः मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है तथा अप्रार्थी द्वारा विवादित खसरा नम्बर के खुर्द–बुर्द होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी कम 1, 2, 3, 5, 6 अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि सेटलमेंट द्वारा रकबा सही दर्ज किया है। प्रार्थीगण का रकबा कोई कही भी कम नहीं हुआ है। प्रार्थी ने तथ्य छुपाकर प्रार्थना पत्र व दावा पेश किया है। प्रार्थीगण ने नवीन ख0सं0 272/441 रकबा 1.47हे0 को नहीं दर्शाया है। प्रार्थी विवादित कृषि में गैर खातेदारी में दर्ज है तथा मौके पर काबिज काश्त नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि के बीच नाला व सरकारी रास्ता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया चलने लायक नहीं है। न तो अपूरणीय क्षति न ही सुविधा संतुलन साबित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष बहस सुनकर मनन किया गया। पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मिलान क्षेत्रफल तथा राजस्व अभिलेख में ख0नं0 272/441 रकबा 1.47हे0 भी सेटलमेंट विभाग द्वारा साबिक ख0नं0 360/211 तथा 359/210 से बनाया गया है इन्हीं से ख0नं0 271 व 272 का भी सृजन हुआ है। अतः मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अप्रार्थी कम 1, 2, 3, 5, 6 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार अंकित है। बिना किसी ठोस आधार के अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थी द्वारा कब्जे के संबंध में भी कोई प्रथम दृष्टया सबुत प्रस्तुत नही किया है यदि प्रार्थी के पास साक्ष्य है तो उसे दावे के विचारण में लेखबद्ध किया जाकर निर्णयन किया जा सकता है। बहस के दौरान अपूरणीय क्षति के संबंध में कोई संभावित हानि का कथन किया गया न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ रूप से प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने, कब्जे संबंधी कोई प्रमाणा प्रस्तुत नहीं करने व साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करे, अपूरणीय क्षति की संभावना नहीं होने तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने के कारण प्रा0 पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.01.2018 इसी स्तर पर खारिज कर Vacate की जाती है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा